न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-327RAAJodhpur2024-116RTA223 Banshilal ors Vs Tarachand etc

01. बंशीलाल पुत्र मंगलाराम
02. हीरालाल पुत्र मंगलाराम
03. मांगीलाल पुत्र प्रतापराम
04. गिरधारीलाल पुत्र रुगनाथराम
05. प्यारेलाल पुत्र रुगनाथराम

सभी जातियान् माली, निवासीगण- ग्राम चिमनाबाड़ी, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. ताराचंद पुत्र सोनाराम
   सोनाराम के कायम मुकाम-
2. घनश्याम पुत्र स्व. सोनाराम
3. जगदीश पुत्र स्व. सोनाराम
4. राजीदेवी पत्नी स्व. सोनाराम

   जातियान् माली, निवासीगण- चिमनाबाड़ी, पीपाड़ शहर, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
5. प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक पीपाड़ शहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर राजस्व मूल वाद संख्या 75/2021 ताराचंद व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 06

निर्णय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक : 30 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 75/2021 अनवान ताराचंद व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 31 जुलाई 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक व दो से चार के पिता, पति ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 2568, 2568/1, 2568/2 कुल रकबा 8.6320 हैक्टेयर, खसरा नं. 1915, 1917 व 2504 कुल रकबा 6.8522 हैक्टेयर ग्राम पीपाड़ शहर के संबंध में धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 22 सितंबर 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश पारित किया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2024 को वाद जरिये विड्रो खारिज कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री पारित करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावे को बिलकूल ही गलत रूप से खारिज किया गया। विभाजन के वाद में सभी पक्षकारान् की स्थिति वादीगण की होती है। इस कारण वाद को विड्रो नहीं किया जा सकता था। विभाजन के वाद में कोई नये अधिकारो का सर्जन नहीं होता है, बल्कि पूर्व में प्राप्त अधिकारों का ही विभाजन होता है। वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चुकी थी एवं तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव बनाकर न्यायालय में पेश कर दिये

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

गये, केवल अंतिम डिक्री जारी की जानी थी जो पक्षकार फौत हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त उनका हिस्सा उनके वारिसान् के नाम रख दिया गया, क्योकि राजस्व रेकर्ड में उनका नाम दर्ज हो चुका था, केवल विभाजन प्रस्ताव उस राजस्व रेकर्ड के इन्द्राजों को ध्यान में रखकर तैयार किये गये। कृषि जोत के विभाजन के वाद में उपसमन का सिद्धांत लागू नहीं होता है एवं इस आधार पर वाद को खारिज नहीं किया जा सकता। इस मामले में इजराय की कार्यवाही विचाराधीन थी। अधीनस्थ न्यायालय ने दावे को जरिये विड्रोल खारिज करते समय प्रतिवादी द्वारा प्रस्तत काउंटर क्लेम को निर्णित ही नहीं किया, जिससे निर्णित किया जाना लाजमी था। वकील अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया, परन्तु डिक्री पर्चा बनाया ही नही जो बनाया जाना जरुरी था। इस कारण निर्णय के अंतिम भाग को डिक्री पर्चा मानते हुए हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24 जुलाई 2024 को अपास्त फरमाया जावे एवं पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को लौटाकर निर्देश दिये जावे कि पत्रावली पर उपलब्ध विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए दावे में विभाजन की अंतिम डिक्री जारी की जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरुप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 22.09.2022 को उभय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पक्ष की सहमति से मामले में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर रिकॉर्डेड खातेदारान् के कब्जे काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने के निर्देश दिये गये, जिसकी पालना में तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पक्षकारान् की उपस्थिति में दिनांक 23 फरवरी 2024 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को प्रेषित किया जाना पाया जाता है जो विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध है।

विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष की सुनवाई कर मामले में अंतिम डिक्री जारी किये जाने की बजाय वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद विड्रोल किये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए वादी संख्या दो एवं प्रतिवादी संख्या छः के फौत होने से वाद पोषणीय नहीं होने तथा अबेट होने के आधार खारिज किया जाना पाया जाता है। कानूनन विभाजन के वाद को जरिये अबेटमेंट खारिज नहीं किया जा सकता है।

यह भी उल्लेखनीय है विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत कांउटर क्लेम को भी बिना किसी आधार के खारिज किया गया है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिक प्रक्रिया के विपरीत पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित कर डिक्री पर्चा जारी नहीं किया है। लिहाजा अपीलाधीन निर्णय के अंतिम भाग को डिक्री पर्चा शुमार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर पीपाड़ शहर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 75/2021 अनवान ताराचंद व अन्य बनाम बंशीलाल इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23 जुलाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2024 निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मृतक वादी/प्रतिवादी के वारिसान् के रेकर्ड पर लेकर विभाजन प्रस्ताव पर प्रस्तुत आपत्तियों का निस्तारण करते हुए उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए मामले में विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 21 नवंबर 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोइ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्रा. जोधपुर
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओम प्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
राजाराम उर्फ राजुराम पुत्र बस्ताराम लाडुराम पुत्र अर्जुनराम सेठुडी पत्नी अर्जुनराम जातियान हरिजन (मेहतर) निवासीगण ग्राम कोसाणा, तहसील पीपाडीशहर, जिला जोधपुर	ब ना म	राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपाडशहर जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय न्यायालय लैण्ड रिकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) पीपाडशहर दिनांक 20 मार्च 2020 राजस्व वाद संख्या 66/2019 अनवान राजारामव अन्य बनाम भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाडशहर

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 30 अक्तूबर 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 20 मार्च 2020 अपास्त किया जाता है और अपील अपीलाण्ट्स अन्दर मियादशुमार करते हुए गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और वादीगण-अपीलाण्ट्स का दावा स्वीकार किया जाकर ग्राम मालावास तहसील पीपाडशहर स्थित आराजी खसरा संख्या 87/14 रकबा 2.1843 हैक्टेयर में ½ हिस्सा राजाराम उर्फ राजूराम पुत्र बस्ताराम जाति हरिजन (मेहतर) तथा ½ हिस्सा लाडुराम पुत्र अर्जुनराम व सेठूडी पत्नी अर्जुनराम जातियान हरिजन (मेहतर) निवासीगण कोसाणा तहसील पीपाडशहर को खातेदार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रूपये ---------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 30 अक्तूबर 2024 को जारी किया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओम प्रकाश विश्नोई) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर